न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 150 / 2022(2022 / 644)

1. अनुपम अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी केकडी
2. श्याम सुन्दर पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी केकडी

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. तहसीलदार महोदय केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

प्रार्थी वकील :– श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14/2/23

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
5–4	523 524 525 526	0.16 0.16 0.45 0.11	बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1 बारानी–1
	कुल किता 4	कुल रकबा 0.88 हैक्ट	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसके नाप चोप व सीमा को लेकर पडोसियों से आये दिन विवाद होता है। प्रार्थीगण द्वारा पडोसियों को लडाई झगडा करने से मना करने पर भी वे नही माने जिससे प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहते है एवं यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की नाप चोप कर स्थायी पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा पत्रावली में जवाब सरकर की टिप्पणी अंकित की गई जिसमे बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम खवास तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 5–4 के खसरा संख्या 523 रकवा 0.16 हैक्टर, खसरा संख्या 524 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा संख्या 525 रकवा 0.45 हैक्ट, खसरा संख्या 526 रकवा 0.11 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner